



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 03 अलग-अलग मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को 15000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 03 अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तों को 15000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना गिरवां में पंजीकृत अभियोग 78/24 धारा 60 आवकारी अधिनियम के अभियुक्त बिन्दा वर्मा पुत्र कल्लू वर्मा निवासी खुरहण्ड थाना गिरवां जनपद बांदा को कुल 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग 67/99 धारा 279/304 भादवि के अभियुक्त प्रदीप कुमार पटेल पुत्र ब्रजनन्दन प्रसाद पटेल निवासी काटी थाना मनगंवा जनपद रीवा (म0प्र0) को कुल 3000/ रुपये के जुर्माने व 02 वर्ष के कारावास से दण्डित कराया गया ।
3. थाना मटौंध में पंजीकृत अभियोग 80/03 धारा 420 भादवि के अभियुक्त मंगल सिंह पुत्र जयकरन सिंह निवासी ग्राम बंशीपुर थाना मटौंध जनपद बांदा को कुल 10000/ रुपये के जुर्माने व 01 वर्ष के कारावास से दण्डित कराया गया ।